उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर

संख्याः 536 / गोपन अनुभाग / 2019
लखनऊः दिनांकः 05 अगस्त, 2019

आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने/ कराये जाने पर पुनरीक्षित दण्ड का प्रावधान

क्र0सं0	अनुचित साधन का प्रयोग	प्रावधानित दण्ड
1.	वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर अन्य अभ्यर्थी अथवा व्यक्ति द्वारा परीक्षा दिया जाना।	वास्तविक अभ्यर्थी तथा उसके स्थान पर बैठे हुये अन्य अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा से वंचित किया जाना एवं परीक्षा तिथि से 03 वर्ष के लिए आयोग की आगामी परीक्षाओं से वंचित/डिबार किया जाना तथा इसकी सूचना अन्य चयन संस्थाओं को प्रेषित किया जाना।
2.	प्रवेश–पत्र को कूटरचित कर वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर अन्य अभ्यर्थी/व्यक्ति द्वारा परीक्षा दिया जाना।	वास्तविक अभ्यर्थी व प्रतिस्थानित को प्रश्नगत परीक्षा से वंचित किया जाना एवं परीक्षा तिथि से 03 वर्ष के लिए आयोग की आगामी परीक्षाओं से वंचित/डिबार किया जाना तथा इसकी सूचना अन्य चयन संस्थाओं को प्रेषित किया जाना।
3.	अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नपुस्तिका अथवा ओ0एम0आर0 पत्रक की अदला–बदली किया जाना।	सम्बन्धित अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा से वंचित किया जाना एवं परीक्षा तिथि से 02 वर्ष के लिए आयोग की आगामी परीक्षाओं से वंचित/डिबार किया जाना तथा इसकी सूचना अन्य चयन संस्थाओं को प्रेषित किया जाना।
4.	परीक्षा कक्ष में मोबाईल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या अन्य प्रतिबन्धित सामग्री इत्यादिः– **क**– अपने साथ रखना। **ख**– इनका प्रयोग करना/कराना।	इस कृत्य के लिये प्रावधानित दण्ड इस प्रकार हैः– **क**– अभ्यर्थी को चेतावनी। **ख**– प्रश्नगत परीक्षा से वंचित किया जाना एवं आयोग की आगामी परीक्षाओं से 01 वर्ष के लिये प्रतिवारित किया जाना तथा इसकी सूचना अन्य चयन संस्थाओं को प्रेषित किया जाना।
5.	अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 पत्रक की प्रतियॉ कक्ष निरीक्षक को न जमा कर अपने साथ ले जाना। **क**– मूल प्रति अपने साथ ले जाना अथवा उसे क्षतिग्रस्त करना। **ख**– कोषागार प्रति अपने साथ ले जाना। **ग**– मूल व कोषागार प्रति साथ ले जाना।	इस कृत्य के लिये प्रावधानित दण्ड इस प्रकार हैः– **क**– कक्ष निरीक्षक तथा केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराना एवं अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा से वंचित किया जाना। **ख**– परीक्षा से वंचित व चेतावनी। **ग**– कक्ष निरीक्षक तथा केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराना एवं अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा से वंचित किया जाना।
6.	अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नपत्र अपने साथ ले जाना।	अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा से वंचित करते हुए चेतावनी एवं आयोग की आगामी परीक्षाओं से 01 वर्ष के लिये प्रतिवारित किये जाने पर विचार किया जाना।
7.	अन्य प्रकरण, जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं हैं।	आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार

(आशुतोष मोहन अग्निहोत्री)
सचिव।